फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री पवन कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार हीरन,नवयुवक मंडल कॉलोनी, एस.बी.आई. बैंक गली नि. आमेट
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद, उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 43/2022**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07.10.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये पत्रांकः एफ.1( )सू.अ.,05/2022/653–655 दिनांक 03 अगस्त, 2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अर्पीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद से होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आरटीआई आवेदन पत्रांकः 470–472 दिनांक 12.05.2022 से संबंधित विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद एवं राजस्व अनुभाग कार्यालय को समयावधि में अन्तरण की जाकर प्रार्थी को सूचित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा जरिये पत्रांकः सू.अ. /2022/1 दिनांक 19.09.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु सं. 1 एवं 2 की सूचना पत्रांकः 972 दिनांक 10.08.2022 अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई बिन्दु सं. 01 की सूचना की पत्रावली रेकार्ड रूम में निर्धारित स्थान पर उपलब्ध नहीं होने से पत्रावली ढूंढने का कार्य जारी है पत्रावली उपलब्ध होते ही उपलब्ध करादी	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जायेगी तथा बिन्दु सं. 2 की सूचना भिजवाई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु सं. 01 की सूचना संबंधी पत्रावली 15 दिवस में ढुंढवाई जाकर नियमानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जावे। 15 दिवस में रिकॉर्ड नहीं मिलने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करे। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)